भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1140

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानव अंगों का दान

†1140. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वालंटियरों द्वारा दान में दिए गए मानव अंगों को वंचित लोगों को देना सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे लोगों, जो जागरूकता की कमी के कारण अपने लिए अंग प्राप्त करने में असमर्थ हैं, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से पूर्वोक्त प्रक्रिया को ऑनलाइन सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध मानव अंग व्यापार में कमी आएगी?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) : मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम (टीओटीए), 1994 के तहत, एक तीन स्तरीय राष्ट्रीय मानव अंग एवं ऊतक पृथक्करण और भंडारण नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ), क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ) और राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) शामिल हैं। एनओटीटीओ/आरओटीटीओ/एसओटीटीओ नेटवर्क उन संस्थानों और अस्पतालों के साथ जो देश में मृतक दाताओं से अंग और ऊतक प्राप्ति की एक कुशल और संगठित प्रणाली प्रदान करने और प्रतीक्षारत प्राप्तकर्ताओं को उनके आवंटन के उद्देश्य से एनओटीटीओ द्वारा बनाए गए एक डिजिटल राष्ट्रीय रजिस्ट्री के माध्यम से अंग/ऊतक प्रत्यारोपण, अंग रिट्रीवल और ऊतक बैंकिंग का कार्य करते हैं।

आवंटन प्रणाली में पारदर्शिता और समानता के लिए, एनओटीटीओ द्वारा किडनी, हृदय, यकृत, फेफड़े, हृदय-फेफड़े और कॉर्निया प्रत्यारोपण जैसे प्रमुख अंगों और ऊतकों के लिए आवंटन मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अधिक आवश्यकता वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है। उपरोक्त आवंटन मानदंड निम्नलिखित कारकों

को प्राथमिकता देते हैं:

- रोग की अवधि,
- प्रतीक्षा सूची में अवधि,
- बीमारी की गंभीरता,
- बच्चे,
- पिछले जीवित दाता को, जिनको अब प्रत्यारोपण की आवश्यकता है और
- बेहतर परिणाम के लिए रक्त समूह, आयु, आकार आदि जैसे समतुल्य मापदंड
- अन्य कारक अर्थात् अंग का स्थानीय उपयोग और प्राप्तकर्ता की भौगोलिक निकटता

इसके अलावा, यदि दान किसी सरकारी संस्थान में हो रहा है, तो दान किए गए अंगों का आवंटन एनओटीटीओ आवंटन नीति के तहत सरकारी केंद्रों के प्राप्तकर्ताओं को किया जाता है। राज्य एनओटीटीओ के आवंटन मानदंड अपना सकते हैं या मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण नियम, 2014 के तहत अनुमत अपने स्वयं के आवंटन मानदंड अपना सकते हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। एनओटीपी के अंतर्गत, प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को आरओटीटीओ और एसओटीटीओ की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विस्तार अंग प्रत्यारोपण/रिट्रीवल केंद्र और ऊतक बैंकों की स्थापना, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयकों की भर्ती, मृतक दाताओं का अनुरक्षण, अंग परिवहन, प्रत्यारोपण के बाद प्रतिरक्षित-दमनकारी दवाएं, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। ।

एक समर्पित वेबसाइट (www.notto.mohfw.gov.in) के साथ-साथ एक 24x7 कॉल सेंटर और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) भी कार्यात्मक है, जो सूचना प्रदान करने, टेली-परामर्श देने और अंगदान के लिए समन्वय में सहायता प्रदान करता है।

एनओटीटीओ, आरओटीटीओ, एसओटीटीओ और संस्थाएं जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कार्यकलाप जैसे कि प्रतिवर्ष भारतीय अंगदान दिवस का आयोजन, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएं, वाद-विवाद, खेल आयोजन, वॉकथॉन, मैराथन, नुक्कड़ नाटक, कानूनी संगोष्ठी आदि आयोजित करती हैं ।

अंग एवं ऊतक दान के लिए आधार सत्यापित प्रतिज्ञाओं के पंजीकरण हेतु एक समर्पित वेब-पोर्टल notto.abdm.gov.in कार्यशील है।

राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे टीएचओटीए, 1994 के अनुसार स्वैप डोनर कार्यक्रम कार्यान्वित करें, जिससे डोनर पूल में सुधार होने तथा प्रत्यारोपण की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

प्रत्यारोपण/रिट्रीवल केंद्रों से अनुरोध है कि वे आईसीयू, केजुअल्टी, प्रतीक्षा क्षेत्रों और अन्य कार्यनीतिक स्थानों पर बोर्ड प्रदर्शित करें, ताकि डॉक्टरों/समन्वयकों द्वारा परिवार के सदस्यों से अंगदान के लिए पूछताछ/अनुरोध करने की विधिक आवश्यकता के बारे में जानकारी मिल सके।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, अंगदान एवं प्रत्यारोपण में क्षमता संवर्धन, पारदर्शिता में वृद्धि और जागरूकता बढ़ाना राज्य का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। एनओटीटीओ अंग प्राप्तकर्ताओं और दाताओं की एक डिजिटल राष्ट्रीय रजिस्ट्री रखता है। प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले मरीज़, मृतक दाता के अंग प्राप्त करने के लिए उपचाररत अस्पताल के माध्यम से राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकरण करा सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि अंग प्रत्यारोपण या रिट्रीवल करने वाले प्रत्येक अस्पताल को एनओटीटीओ की वेबसाइट से जोड़ा जाए और मृतक तथा जीवित दाताओं और प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं, दोनों से संबंधित डेटा राष्ट्रीय रजिस्ट्री में अपलोड किया जाए। इसके अलावा, बेहतर निगरानी के लिए प्रत्येक दाता और प्राप्तकर्ता को एक विशिष्ट एनओटीटीओ आईडी आवंटित की जाती है।

*****